न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 17/2023

अनवान : –

1. राजाराम पुत्र किशनाराम जाति जाट साकिन सोनड़ी तहसील नोहर।

–प्रार्थी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

–अप्रार्थी

2. हरिसिंह पुत्र किशनाराम जाति जाट साकिन सोनड़ी तहसील नोहर।
3. हंसराज पुत्र किशनाराम जाति जाट साकिन सोनड़ी तहसील नोहर।

– तरतीबी अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र रिकार्ड दुरस्ती
अन्तर्गत धारा 136 लैण्डरैवेन्यू एक्ट

उपस्थिति :– श्री विजय सिंह कड़वासरा अधिवक्ता **प्रार्थी**
राजपेरोकार

<u>निर्णय</u> **दिनांकः** 04/04/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट. के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के खाता स0 452/452 की कुल 3.1740 हैक्ट भूमि में से 421/31740 हिस्सा भूमि प्रार्थी के व 211/15870 हिस्सा भूमि तरतीबी अप्रार्थी संख्या 2 व 3 प्रत्येक के नाम दर्ज है।

उक्त वाद भूमि में प्रार्थीगण का नाम क्रमशः राजाराम पुत्र किशनलाल, हरिराम पुत्र किशनलाल, हंसराज पुत्र किशनलाल दर्ज है जबकि प्रार्थीगण का नाम क्रमशः राजाराम पुत्र किशनाराम, हरिसिंह पुत्र किशनाराम, हंसराज पुत्र किशनाराम है, जो की प्रार्थीगण के समस्त दस्तावेजों में दर्ज है।

राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गलत दर्ज होने से प्रार्थी को विभिन्न प्रकार की परेशानीयों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में क्रमशः राजाराम पुत्र किशनलाल, हरिराम पुत्र किशनलाल, हंसराज पुत्र किशनलाल के स्थान पर अपना सही व वास्तविक नाम क्रमशः राजाराम पुत्र किशनाराम, हरिसिंह पुत्र किशनाराम, हंसराज पुत्र किशनाराम दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 को काफी मर्तबा कहा कि प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थी 2 व 3 का सही नाम दर्ज कर देवे जिससे प्रार्थी का कोई हिस्सा कम अथवा ज्यादा नही होना केवल नाम ही सशोधित होना है परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 कुछ दिन तो आजकल करते रहे अंत में इन्कार हो गये इसलिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.01 19:43:07 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थी संख्या 2 व 3 का सही नाम क्रमशः राजाराम पुत्र क़िशनाराम, हरिसिंह पुत्र किशनाराम, हंसराज पुत्र किशनाराम है जबकि राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थी संख्या 2 व 3 का नाम क्रमशः राजाराम पुत्र किशनलाल, हरिराम पुत्र किशनलाल, हंसराज पुत्र किशनलाल दर्ज हो गया जिससे प्रार्थी को विभिन्न प्रकार की परेशानीयों का सामना करना पड़ता है। अतः मुताबिक प्रार्थी के दस्तावेजों के आधार पर राजस्व रिकार्ड में सही नाम क्रमशः राजाराम पुत्र किशनाराम, हरिसिंह पुत्र किशनाराम, हंसराज पुत्र किशनाराम दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा थिराना तहसील नोहर के खाता स0 578/289 की कुल 5.8190 हैक्ट भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, प्रार्थी अपना नाम पंकज पुत्र राजेन्द्र के स्थान पर पंकज कुमार पुत्र राजेन्द्र कुमार दर्ज करवाना चाहता है। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात यथा आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि में प्रार्थी का नाम पंकज कुमार पुत्र राजेन्द्र कुमार अंकित है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है कि रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के खाता स0 452/452 की कुल 3.1740 हैक्ट भूमि में से 421/31740 हिस्सा भूमि प्रार्थी के व 211/15870 हिस्सा भूमि तरतीबी अप्रार्थी संख्या 2 व 3 प्रत्येक के नाम दर्ज है, उक्त वाद भूमि में प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 व 3 का नाम क्रमशः **राजाराम पुत्र किशनलाल, हरिराम पुत्र किशनलाल, हंसराज पुत्र किशनलाल के स्थान पर राजाराम पुत्र किशनाराम, हरिसिंह पुत्र किशनाराम, हंसराज पुत्र किशनाराम का संशोधन किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाता है।** यदि किसी किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच प्रार्थी एवं अप्रार्थी स0 2 व 3 के नाम क्रमश राजाराम पुत्र किशनलाल, हरिराम पुत्र किशनलाल, हंसराज पुत्र किशनलाल के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का राजाराम पुत्र किशनलाल, हरिराम पुत्र किशनलाल, हंसराज पुत्र किशनलाल के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए प्रार्थी एवं तरतीबी अप्रार्थी सं0 2 व 3 का नाम राजाराम पुत्र किशनलाल, हरिराम पुत्र किशनलाल, हंसराज पुत्र किशनलाल ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो प्रार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। तहसीलदार नोहर को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें।

निर्णय आज दिनांक 06/05/2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया पत्रावली फैसला शुमार होकर [illegible] क्रम की जाकर दाखिल दफ्तर हों एवं उक्त निर्णय शामिल पत्रावली किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.01 19:43:07 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, नोहर

पीठासीन अधिकारी : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

क्रमांक : रीडर/सशोधन/2023/ 1229 दिनांक : 17/04/24

तहसीलदार,

नोहर।

विषय :– प्रकरण स0 17/2023 अनवानी राजाराम बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालना करवाने के संबंध में।

प्रकरण संख्या – 17/2023

अनवान : –

1. राजाराम पुत्र किशनाराम जाति जाट साकिन सोनड़ी तहसील नोहर।

–प्रार्थी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

–अप्रार्थी

2. हरिसिंह पुत्र किशनाराम जाति जाट साकिन सोनड़ी तहसील नोहर।
3. हंसराज पुत्र किशनाराम जाति जाट साकिन सोनड़ी तहसील नोहर।

– तरतीबी अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण में निर्णय पारित किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के खाता स0 452/452 की कुल 3.1740 हैक्ट भूमि प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के नाम संयुक्त खाता में दर्ज है, उक्त वाद भूमि में प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 व 3 का नाम क्रमशः **राजाराम पुत्र किशनलाल, हरिराम पुत्र किशनलाल, हंसराज पुत्र किशनलाल के स्थान पर राजाराम पुत्र किशनाराम, हरिसिंह पुत्र किशनाराम, हंसराज पुत्र किशनाराम का संशोधन किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाता है।** यदि किसी किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच प्रार्थी एवं अप्रार्थी स0 2 व 3 के नाम क्रमश राजाराम पुत्र किशनलाल, हरिराम पुत्र किशनलाल, हंसराज पुत्र किशनलाल के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का राजाराम पुत्र किशनलाल, हरिराम पुत्र किशनलाल, हंसराज पुत्र किशनलाल के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए प्रार्थी एवं तरतीबी अप्रार्थी सं0 2 व 3 का नाम राजाराम पुत्र किशनलाल, हरिराम पुत्र किशनलाल, हंसराज पुत्र किशनलाल ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो प्रार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। यदि किसी न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो।

(पंकज गढ़वाल R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.01 19:43:07 IST
Reason: SelfAttested